

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2002/ ज्येष्ठ 14, 1924
No. 35] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2002/ JYAISTHA 14, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

New Delhi, the 4th June, 2002/Jyaistha 14, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 3rd June, 2002, and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 32 OF 2002

[3rd June, 2002.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to provide for inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, who have been displaced due to Sardar Sarovar Project on the Narmada River and are settled or may be settled in the State of Gujarat, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to the State of Gujarat.

BE it enacted by Parliament in the fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002.

Short title.

2. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in PART IV.—*Gujarat*, after entry 30, the following entries shall be inserted, namely:—

Amendment of the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

“31. Balahi, Balai

32. Bhangji, Mehtar

33. Chamar

34. Chikwa, Chikvi

35. Koli, Kori

36. Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts)."

Amendment of
the
Constitution
(Scheduled
Tribes) Order,
1950.

3. In the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in

PART IV.—*Gujarat*, after entry 29, the following entries shall be inserted, namely:—

"30. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia

31. Tadvi Bhil, Bawra, Vasave

32. Padvi."

SUBHASH C. JAIN,
Secy. to the Govt. of India.

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 32)

[3 जून, 2002]

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित कर दिए गए हैं और गुजरात राज्य में बस गए हैं या बसाए जाएं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने के लिए उपबंध करने हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

संक्षिप्त नाम ।

संविधान (अनुसूचित
जातियाँ) आदेश,
1950 का
संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची में भाग 4—
गुजरात में, प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी,
अर्थात् :—

“31. बलाही, बलाई

32. भंगी, मेहतर

33. चमार

34. चिकवा, चिकवी

35. कोली, कोरी

36. कोटवाल (भिड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ,
खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और
विदिशा जिलों में) ।”।

संविधान (अनुसूचित
जनजातियाँ) आदेश,
1950 का
संशोधन ।

3. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची में भाग 4—
गुजरात में, प्रविष्टि 29 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी,
अर्थात् :—

“30. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया

31. तदवी भील, बावरा, वसावे

32. पडवि ” ।

राष्ट्रपति ने दि कान्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर्स
(अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की
धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के
लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Constitution (Scheduled
Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 has been
authorised by the President to be published in the Official Gazette under
clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act,
1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.